

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ****आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2216/2026**

प्रिंस पांडेय

..... आवेदक(ओं)

बनाम

अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गृह, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश
राज्य विपक्षीगण(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : नदीम मुर्तजा, प्रीतिका भसीन, वली
नवाज खान

विपक्षीगण(ओं) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 11**माननीय न्यायमूर्ति राजीव सिंह**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 323/2025, अंतर्गत धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2) भारतीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्याय संहिता, थाना- कोतवाली देहात, जिला- बलरामपुर में उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक निर्दोष है और वह 5.1.2026 से जेल में है। उनका यह भी तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने फर्जी कंपनी के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में 23,11,94,648/- रुपये की राशि प्राप्त की है, लेकिन जांच के दौरान आवेदक के सभी बैंक खातों की जांच की गई और आवेदक के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। उन्होंने आगे तर्क दिया कि काल्पनिक तथ्यों के आधार पर जांच अधिकारी ने आवेदक के विरुद्ध आरोपपत्र दाखिल किया है, जबकि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, इसलिए उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि जांच अधिकारी ने आरोपपत्र दाखिल किया था, लेकिन उन्होंने इस तथ्य से इनकार नहीं किया कि आवेदक के विरुद्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त करने का कोई सबूत नहीं मिला है।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता के परस्पर विरोधी तर्कों, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री, प्राथमिकी की सामग्री और अन्य प्रासंगिक दस्तावेजों पर विचार करते हुए, अभियोजन

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

पक्ष के मामले के अनुसार, आवेदक ने फर्जी फर्मों के माध्यम से इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्त किया है, हालांकि प्रथम दृष्टया इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आवेदक ने इनपुट टैक्स क्रेडिट से संबंधित कोई राशि प्राप्त की है, इसलिए मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

6. आवेदक - **प्रिंस पांडेय** - को उपरोक्त मामले में 1,00,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो विश्वसनीय जमानती पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक किसी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे वह न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से हिचक जाए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करे।

(iii) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों तो वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथि पर स्थगन की मांग नहीं करेगा। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारणीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारणीय न्यायालय के समक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना उसकी अनुपस्थिति की स्थिति में, विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए भारतीय दण्ड संहिता/269 भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 दण्ड प्रक्रिया संहिता/84 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है। यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है, तो विचारणीय न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 174-ए भारतीय दण्ड संहिता/209 भारतीय न्याय संहिता के तहत विधिवत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक विचारणीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर स्वयं उपस्थित रहेगा: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता/351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारणीय न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो विचारणीय

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके विरुद्ध विधिवत कार्यवाही कर सकता है।

7. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति राजीव सिंह)

8 जून, 2026

गौरव/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।